न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 05/2021
अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. तरसेम सिंह पुत्र श्री बुटा सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

.....वादी

व ना म

1. बुटा सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. किरण दीप कौर पुत्री श्री बुटा सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. सुखजीत कौर धर्मपत्नी श्री बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (वादी)
श्री रोबिन कुमार गुम्बर (प्रतिवादी 1–3)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 4)

दिनांक 16 फरवरी, 2021

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 वादी का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 02 वादी की बहिन हैं प्रतिवादी संख्या 03 वादी की माता है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 बूटा सिंह के नाम से वाके चक 28 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 53/22 का मुरब्बा नम्बर 05 व 06 की कुल 4.723 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक सम्पति है। जो कि प्रतिवादी को अपने पूर्वजो से विरासत मे प्राप्त हुई हैं तथा जदी जायदाद है हिन्दू विधि के अनुसार संतान का अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म लेते ही हक पैदा हो जाता है। उक्त सम्पति पैतृक होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 का प्रतिवादी वादी के साथ जन्म से हक वा 1/3–1/3 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 02 ने प्राकृतिक स्नेहवश अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 01 बूटा सिंह ने उक्त भूमि का बंटवारा वादी के साथ करके घरू बंटवारानुसार वादी तरसेम सिंह को मुरब्बा नम्बर 06 का किला नम्बर 1/1(0.139), 2/1(0.139), 3/1(0.139), 4/1(0.140), 4/2(0.025), 5/1(0.127), 5/2(0.038), 6/1(0.228), 6/2(0.025), 7(0.253), 8(0.253), 9(0.253), 10(0.253), 11(0.253), 12(0.253), 13(0.253), 14(0.253), 15/1(0.228), 15/2(0.025) कुल 3.277 हैक्टेयर नहरी

Scanned with CamScanner

मय खाला कृषि भूमि दी हुई है जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है। वादी उक्त भूमि मे काश्त कर रहा है तथा उक्त भूमि पर पिछले काफी समय से वादी का कब्जा चला आ रहा है, प्रतिवादी संख्या 01 बूटा सिंह द्वारा वादी को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा दूंगा। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 बूटा सिंह से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 01 बूटा सिंह टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 10.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 बूटा सिंह ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है तथा उन्होने वादी को धमकी दी है कि तुम्हे कृषि भूमि नही दूंगा तुमने जो करना है, कर लो। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 बूटा सिंह वादी को हक व न्याय नही देना चाहता है। यही वाद कारण है। उक्त हालातों मे उक्त जददी जायदाद में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 04 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में से चक 28 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर मुरब्बा नम्बर 06 का किला नम्बर 1/1(0.139), 2/1(0.139), 3/1(0.139), 4/1(0.140), 4/2(0.025), 5/1(0.127), 5/2(0.038), 6/1(0.228), 6/2(0.025), 7(0.253), 8(0.253), 9(0.253), 10(0.253), 11(0.253), 12(0.253), 13(0.253), 14(0.253), 15/1(0.228), 15/2(0.025) कुल 3.277 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

वादी 01 एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 18.01.2021 को प्रस्तुत किया गया। वादी की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादीगण के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनाम प्रमाणित किया गया। राजीनाम के तथ्यों के अनुसार इस प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं:–

चक 28 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर मुरब्बा नम्बर 06 का किला नम्बर 1/1(0.139), 2/1(0.139), 3/1(0.139), 4/1(0.140), 4/2(0.025), 5/1(0.127), 5/2(0.038), 6/1(0.228), 6/2(0.025), 7(0.253), 8(0.253), 9(0.253), 10(0.253), 11(0.253), 12(0.253), 13(0.253), 14(0.253), 15/1(0.228), 15/2(0.025) कुल 3.277 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे। पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनाम किया है। अतः उक्त वर्णित अनुसार वाद पत्र का निर्णय व डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई एतराज ना होगा। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 अपनी स्वेच्छा से, प्राकृतिक स्नेहवश उक्त पैतृक भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपने हक व हिस्सा का परित्याग करती है।

दिनांक 16.2.2021 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत। जवाब राज्य पक्ष के अनुसार वाद के बिन्दु संख्या– 1,3,4,5,6,7 को सिद्व करने का भार वादी पर है। बिन्दु संख्या 02 राजस्व रिकार्ड की सीमा तक स्वीकार है। बिन्दु संख्या 09 कानूनी है। वादी अपने परिवार मे सदस्यो के हिस्से तक हक प्राप्ति का अधिकारी है।

Scanned with CamScanner

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 28 जीजी पटवार हल्का जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 एवं इंतकाल संख्या 307 दिनांक 13.04.2018 का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, माानीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है, इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा नैयायिक प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है।

आदेश

वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है–

प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18.01.2021 के अनुसार वादी तरसेम सिंह पुत्र बूटा सिंह के हिस्सा में चक 28 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर मुरब्बा नम्बर 06 का किला नम्बर 1/1(0.139), 2/1(0.139), 3/1(0.139), 4/1(0.140), 4/2(0.025), 5/1(0.127), 5/2(0.038), 6/1(0.228), 6/2(0.025), 7(0.253), 8(0.253), 9(0.253), 10(0.253), 11(0.253), 12(0.253), 13(0.253), 14(0.253), 15/1(0.228), 15/2(0.025) कुल 3.277 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया घोषित किया जाता है। राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 इस भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा प्राकृतिक स्नेहवश अपने हिस्सा का परित्याग करती है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत करने पर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16 फरवरी, 2021 को जारी किया गया।

उमेद सिंह रतन
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner